# <u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0—55 / 2018 संस्थापन दिनांक—16.04.2018

मध्यप्र	देश	राज्य	द्वारा	आरक्षी	केन्द्र	ठीकरी
जिला	बड़	वानी	म०प्र०			

.....अभियोगी

#### विरुद्ध

सुरेश पिता ध्यानसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी— चंदनपुरी थाना बलकवाडा जिला खरगोन म0प्र0

.....अभियुक्त

### / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 16.04.2018 को घोषित )

- 01— अभियुक्त **सुरेश** के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185,130(3) / 177 के अंतर्गत **दिनांक 13.04.2018 को 16:30 बजे स्थान— चोपाटी ठीकरी में ट्रक कमांक एम.पी. 09 एच.एच. 1053** को लोक मार्ग पर शराब पीकर नशे की हालत में चलाया एवं उक्त कारण से आप वाहन का नियंत्रण रखने में असमर्थ थे, एवं अपने उक्त वाहन को पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन के दस्तावेज एवं ड्रायविंग लाईसेंस मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.04.2018 को वाहन चैकिंग के दौरान वाहन बिना नंबर की ट्रक का चालक शराब पीकर वाहन चलाते मिला चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम सुरेश पिता ध्यानसिंह होना बताया। मौके पर चालक के द्वारा वाहन का कोई दस्तावेज एवं ड्वायविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसके कब्जे से ट्रक को

$\sim$		
ानः	ਾਰਹ -	

# / / 2 / / आप0प्र0क0-55 / 2018 संस्थापन दिनांक-16.04.2018 आर.सी.टी. नं.02 / 18

जप्त की जाकर ट्रक को थाने पर लाकर खडा किया तथा आरोपी का मेडिकल परीक्षण सी.एच.सी. ठीकरी से कराया गया, जिसमें चालक द्वारा शराब पीना बताया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विधिवत् जप्ति पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाने के ईस्तगाशा क0 03/18 धारा 185,130(3) /177 मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत का तैयार किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी सुरेश पिता ध्यानसिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी सुरेश पिता ध्यानसिंह ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत में उक्त दिनांक को लोक मार्ग पर शराब पीकर नशे की हालत में चलाया, व पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन के दस्तावेज एवं ड्रायविंग लाईसेंस मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 185,130(3) / 177 मोटरयान अधिनियम 1988 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 185,130(3)/177 मोटरयान अधिनियम 1988 के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं क्रमंशः रूपये 1000/— एवं 100/— रूपये इस प्रकार कुल 1100/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमंश 07 एवं 03 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में जप्त शुद्धा वाहन ट्रक कं0 एम.पी. 09 एच.एच. 1053 को वाहन स्वामी को वापस की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बड़वानी म०प्र0